| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | आषाढ़ 13, शुक्रवार, शाके 1936–जुलाई 4, 2014<br>*Asadha 13, Friday, Saka 1936–July 4, 2014* | |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 4, 2014**

**संख्या प. 2 (6) विधि/2/2014:–**राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

## कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014

**(2014 का अधिनियम संख्यांक 12)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई]

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन करने और कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 21 सितम्बर 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन.-** (1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 20), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन

निगमित कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**3. संशोधन.-** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

**4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.-** मूल अधिनियम को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

**5. निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

## अनुसूची
### (धारा 3 देखिए)

**धारा 1.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**धारा 2.-** विद्यमान खण्ड (य) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(य) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथा स्थापित और गठित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अभिप्रेत है;"।

**धारा 3.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, July 4, 2014**

**No. F. 2 (6) Vidhi/2/2014.-**In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Krishi Vishwavidyalaya, Jobner (Naam Parivartan) Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):-

**(Authorised English Translation)**

**THE AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER (CHANGE OF NAME) ACT, 2014**

**(Act No. 12 of 2014)**

[Received the assent of the Governor on the 3rd day of July, 2014]

*An*

*Act*

*to change the name of the Agriculture University, Jobner and to amend the Agriculture University, Jobner Act,2013.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Agriculture University, Jobner (Change of Name) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st September, 2013.

**2. Change of name of the Agriculture University, Jobner.**- (1) The name of the Agriculture University, Jobner incorporated under the Agriculture University, Jobner Act, 2013 (Act No. 20 of 2013), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner.

(2) Any reference to the Agriculture University, Jobner in any law for the time being in force or in any indenture, instrument, or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

**3. Amendment.**- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

**4. Citation of the principal Act.**- The principal Act may be cited as the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013.

**5. Repeal and savings.**- (1) The Agriculture University, Jobner (Change of Name and Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 23 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

**THE SCHEDULE**

**(See section 3)**

**Section 1.**- In sub-section (1), for the existing expression “the Agriculture University, Jobner Act”, the expression “the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act” shall be substituted.

**Section 2.**- For the existing clause (z), the following shall be substituted, namely:-

“(z) “University” means the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner as established and constituted under this Act;”.

**Section 3.**- In sub-section (1), for the existing expression “the Agriculture University, Jobner”, the expression “the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner ” shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

**5**

**Government Central Press, Jaipur.**